

5.3 SA – 240 (R)

एक वित्तीय विवरण के अंकेक्षण में कपट से संबंधित अंकेक्षक के दायित्व

वित्तीय विवरण के अंकेक्षण हेतु 1 अप्रैल अथवा उसके बाद की अवधि के लिये प्रभावी होगा।

सन् 2002 में यूनाइटेड स्टेट में (US) वर्ल्डकॉम तथा एनारॉन तथा सन् 2008 में भारत में सत्यम के पतन के पश्चात् वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ता तथा विनियमक प्राधिकरण के दृष्टिकोण से संपूर्ण विश्व में अंकेक्षण पेशे ने तथा अंकेक्षणकारी समूह संस्थाओं (Auditing bodies) ने अंकेक्षण के दायित्वों तथा कर्तव्यों को पुनः परिभाषित किया गया था तथा उसकी पुनः व्याख्या भी की गई है।

Q. 01 कपट क्या है?

Ans: इरादतन की गई गलतियों जो कि गैरकानूनी लाभ (Unjust advantage) पाने के लिये की जाती हैं सामान्यतः कपट के नाम से जानी जाती हैं। SA-240 द्वारा कपट निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है।

1. एक इरादतन किया गया कार्य
2. जो निम्न में से अथवा अधिक व्यक्ति जिनमें शामिल है –
 - प्रबंधन
 - नियंत्रण के लिये प्रभारित व्यक्तियों
 - कर्मचारियों
 - अथवा तृतीय पक्षकार या ये सभी साथ मिलकर आते हैं।
3. जिसमें धोखे का प्रयोग किया जाता है जिससे कि उन्हें
4. एक गैर, कानूनी अथवा अवैधानिक लाभ प्राप्त हो सके।

यद्यपि मानक आश्वासनों (SAs) के उद्देश्य हेतु कपट एक व्यापक वैधानिक विचारधारा है परंतु अंकेक्षक ऐसे कपटपूर्ण कार्यों का अंकेक्षण के दौरान ध्यान रखता है जिनमें कारण वित्तीय विवरणों में मिथ्यावर्णन उत्पन्न होता है। दो प्रकार के इरादतन मिथ्यावर्णन होते हैं।

1. मिथ्यावर्णन, जो कपटपूर्ण वित्तीय रिपोर्टिंग से उत्पन्न होते हैं: तथा
2. मिथ्यावर्णन, जो संपत्तियों के दुरुपयोग परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं।

उदाहरण :-

एक अच्छी वित्तीय स्थिति को दर्शाने के लिये क्रय को भलीभाँति विचार करके दबा दिया जाता है। यहाँ, धोखा देने के लिये क्रय को छुपा लिया जाता है जिसे प्रबंध के लिये प्रभावित व्यक्तियों के निर्देशन पर प्रबंधन तथा कर्मचारियों द्वारा इरादतन किया जाता है इसके परिणामस्वरूप उपक्रम बड़े हुये लाभ को दर्शाकर कृत्रिम वित्तीय स्वास्थ्य (Fictitious financial health) को दर्शाकर गैर-कानूनी अथवा अवैधानिक लाभ उठाता है।

अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह कपट योजना से किया गया कपट है। एक व्यक्ति कपट के लिये उत्तरदायी होगा यदि उसे जानकारी है कि वह क्या कर रहा है? कपट उचित सर्तकता के साथ किये जाते हैं। कपट के परिणामस्वरूप पीड़ित पक्षकार को सदैव हानि होती है कपट को भलीभाँति छुपाया जाता है। सामान्यतः गलतियों को सुधारा जा सकता है और उसकी पुष्टि की जा सकती है किंतु कपट वित्तीय विवरणों में कपट प्रदर्शित होने चाहिये।

प्रबंध के लिये प्रभारित व्यक्ति से आशय :-

ऐसे व्यक्तियों से है जो निरीक्षण, नियंत्रण तथा उत्तरदायित्वों के लिये प्रभारित व्यक्ति हैं। (जिसमें शामिल है प्रबंध जो केवल प्रबंधकीय कार्यों का निष्पादन करता है) कम्पनी के अंतर्गत अंकेक्षण समिति को ऐसे व्यक्तियों को समिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो प्रबंध के लिये प्रभारित व्यक्ति हैं।

Q. 02 कुछ उदाहरणों द्वारा स्पष्टीकरण दीजिये कि कैसे कपटपूर्ण वित्तीय रिपोर्टिंग तथा संपत्ति का दुरुपयोग किया जा सकता है?

Ans: कपटपूर्ण वित्तीय रिपोर्टिंग के उदाहरण :-

1. लेखांकन रिकॉर्ड्स तथा अन्य सहायक प्रपत्रों की हेराफेरी, गलती (जालसाजी का समावेश करते हुये) तथा उनके सुधार जिनकी सहायता से वित्तीय – विवरण तैयार किये जाते हैं।
2. वित्तीय विवरणों की घटनाओं, व्यवहारों अथवा अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं में मिथ्यावर्णन अथवा जानबूझकर की गई भूल।
3. राशियों, वर्गीकरण, प्रस्तुति के तरीके अथवा प्रकटीकरण से संबंधित लेखांकन सिद्धांतों का जानबूझकर गलत उपयोग करना।

- परिचालन परिणामों की हेराफेरी करने तथा अन्य उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु विशेष रूप से एक लेखांकन अवधि के अंत में कृत्रिम जर्नल प्रविष्टियाँ (Fictitious Journal entries) अभिलेखित करना।
- खाता शेषों का अनुमान लगाने हेतु अनुचित समायोजन मान्यताएँ लेना तथा निर्णयों को परिवर्तित करना।
- रिपोर्टिंग अवधि के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना अथवा लेनदेन को वित्तीय विवरणों में लिखने से चूक जाना, अथवा उनको अग्रिम रूप में मान्य करे लेना अथवा विलंब से मान्य करना।

संपत्ति के दुरुपयोग के उदाहरण निम्नलिखित हैं :-

- प्राप्तियों का गबन (उदाहरण के लिये, प्राप्य खातों का दुरुपयोग अथवा व्यक्तिगत बैंक खातों को अपलिखित करने हेतु, प्राप्तियों का प्रयोग करना)
- भौतिक संपत्तियों अथवा प्रतिभा संपन्न (Intellectual Property) उदाहरण के लिये, निजी प्रयोग अथवा विक्रय स्कंध की चोरी करना, पुनः विक्रय हेतु स्कैप की चोरी, एक प्रतियोगी के साथ सॉट-गॉट करके कुछ भुगतान प्राप्त करने हेतु तकनीकी ऑकड़ों को प्रकट करना।
- एक उपक्रम को वस्तु के लिये भुगतान करना किंतु सेवाये नहीं ली गई है। (उदाहरण के लिये, कृत्रिम विक्रेता को भुगतान, कृत्रिम कर्मचारियों को भुगतान,)
- एक उपक्रम की संपत्तियों का निजी प्रयोग। (उदाहरण के लिये, निजी ऋण अथवा संबंधित पक्षकार के ऋण हेतु उपक्रम की संपत्तियों का समपार्श्विक प्रयोग (Collateral use))

Q. 03 कपट को खोजने तथा उसकी रोकथाम हेतु कौन उत्तरदायी है?

Ans: SA-240 के अनुसार “कपट को खोजने तथा उसे रोकने का प्राथमिक दायित्व प्रबंध के लिये प्रभारित व्यक्ति तथा प्रबंध दोनों का ही है।” आंतरिक नियंत्रण के माध्यम से प्रबंध कपट की रोकथाम पर बल देता है, जो कपट होने के अवसरों को कम करता है।

Q. 04 कपट को खोजने हेतु अंकक्षक कितना उत्तरदायी होता है?

Ans: SA-240 के अनुसार, एक अंकक्षक जो आश्वासन मानकों के अनुसार अपने अंकक्षण कार्य का संपादन कर रहा है वह इस बात का उचित आश्वासन पाने के लिये उत्तरदायी है कि वित्तीय विवरण पूर्ण रूप से मिथ्यावर्णनों से मुक्त है जो कि कपट अथवा गलती के कारण उत्पन्न हो सकते हैं। एक अंकक्षण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, एक अवश्यम्भावी जोखिम (Unavoidable risk) सदैव बनी रहती है कि वित्तीय विवरणों में कुछ सारवान मिथ्यावर्णन खोजे जाने से रह जाये भले ही अंकक्षण कार्य उचित रूप से नियोजित किया जाये तथा उसका निष्पादन आश्वासन मानकों के अनुसार किया जाये।

Q. 05 अंकक्षण की अंतर्निहित सीमाये क्या हैं?

Ans: अंतर्निहित सीमाओं से आशय उन सीमाओं से है जो विरासत (Inheritance) में प्राप्त की जाती है। अर्थात् जो प्रारंभ से ही विषय के साथ होती है और जिन पर विषय नहीं पाई जा सकती।

SA-240 के अनुसार, एक अंकक्षक पूर्णतः इस बात का आश्वासन प्राप्त नहीं कर सकता कि वित्तीय विवरणों में सभी सारवान मिथ्यावर्णन पकड़ लिये जायेंगे। एक अंकक्षण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण एक अवश्यम्भावी जोखिम सदैव बनी रहती है कि भले ही अंकक्षण कार्य उचित नियोजन के साथ किया जाये तथा भले ही उनका निष्पादन भारत में सामान्यतः स्वीकृत आश्वासन मानकों के अनुरूप किया जाये, फिर भी कुछ सारवान मिथ्यावर्णन खोजे जाने से रह सकते हैं। निम्नलिखित को एक अंकक्षण की अंतर्निहित सीमाएँ माना जा सकता है :-

- निर्णयों का प्रयोग (अंकक्षण साक्ष्यों की सारवन्ता, पर्याप्तता तथा उपयुक्तता के बारे में)
- परीक्षण का प्रयोग (एक गैर महत्वपूर्ण मदों के समूह के लिये गहरी अंकक्षण प्रक्रिया की मात्रा कम रखना)
- आंतरिक नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ (SA-330 में परिभाषित)
- अंकक्षक के पास उपलब्ध साक्ष्य जो निष्कर्षात्मक प्रकृति के बजाय राजी कर लेने वाले होते हैं। (देनदारों से पुष्टी इस बात का निष्कर्षात्मक प्रमाण नहीं होते कि वह अच्छे हैं तथा भविष्य में डूबेंगे नहीं, यह केवल अंकक्षक को इस बात पर विश्वास करने के लिये राजी करते हैं देनदार विद्यमान हैं)
- गलती के परिणामस्वरूप होने वाले सारवान मिथ्यावर्णन को न पकड़े जाने की जोखिम के बजाय, कपट के परिणामस्वरूप होने वाले सारवान मिथ्यावर्णनों को न पकड़े जाने की जोखिम अधिक रहती है।
- प्रबंध के कपट के परिणामस्वरूप उत्पन्न सारवान मिथ्यावर्णन को न पकड़े जाने की जोखिम कर्मचारी द्वारा किये गये कपट की जोखिम से ज्यादा होती है। क्योंकि प्रबंध के लिये प्रभारित व्यक्ति तथा प्रबंध अनेक बार ऐसी स्थिति में होते हैं कि वह हमेशा आंतरिक नियंत्रण प्रविधियों पर अधिशासन कर सके।

SA-240 के अनुसार, उचित आश्वासन प्राप्त करते समय अंकेंक्षक ने पूरे अंकेंक्षण कार्य के दौरान एक पेशेगत सर्तकता के व्यवहार को अपनाया है।

Q. 06 पेशेगत सर्तकता में क्या आशय है?

Ans: पेशेगत सर्तकता से आशय है सावधानी का रवैया अथवा व्यवहार। अंकेंक्षक को सभी विवरणपत्रों तथा स्पष्टीकरणों को बिना सावधानी से देखे स्वीकार नहीं करना चाहिये। जब तक की अंकेंक्षक के पास इस बात पर विश्वास करने का कोई विपरीत कारण न हो अंकेंक्षक सभी रिकॉर्ड्स तथा प्रपत्रों पर विश्वास कर सकता है कि वह वास्तविक है। यदि अंकेंक्षण के दौरान ऐसी परिस्थित सामने आती है कि प्रपत्र विश्वसनीय नहीं है अथवा वह मद जिन्हें एक प्रपत्र में संशोधित किया गया है लेकिन अंकेंक्षक को नहीं बताया गया है, तो ऐसे में अंकेंक्षक को अतिरिक्त परीक्षण करना चाहिये।

जब नियोजन किया जाता है तब अंकेंक्षक को इंगेजमेन्ट टीम के सदस्यों के साथ विचार विनिमय कर लेना चाहिये कि एक उपक्रम के वित्तीय विवरण में कैसे और कहाँ, कपट के कारण सारवान मिथ्यावर्णन, संवेदनशील हो सकते हैं।

उसमें इस बात का भी समावेश होता है कि कपट कैसे उत्पन्न हो सकता है। फिर भी यह विचार-विमर्श इंगेजमेन्ट के सदस्यों के लिये यह विश्वास उत्पन्न करता है कि प्रबंधन तथा प्रबंधन के लिये प्रभारित व्यक्ति सत्यनिष्ठ एवं ईमानदार हैं।

Q. 07 वित्तीय विवरणों में कपट से संबंधित अंकेंक्षक के दायित्व क्या है?

Ans: SA-240 के अनुसार अंकेंक्षक के दायित्व निम्नलिखित हैं :-

1. वित्तीय विवरणों में कपट के परिणामस्वरूप उत्पन्न सारवान मिथ्यावर्णन को पहचानना तथा उसकी जोखिम का निर्धारण करना।
2. उचित प्रत्युत्तर को अभिव्यक्ति एवं स्थापित कर कपट के परिणामस्वरूप उत्पन्न सारवान मिथ्यावर्णन के लिये निर्धारित की गई जोखिम के बारे पर्याप्त उपयुक्त अंकेंक्षण साक्ष्य प्राप्त करना।
3. पहचाने गये तथा संदेहास्पद कपट के लिये उचित प्रत्युत्तर देना।

भाग – अ

कपट के परिणामस्वरूप उत्पन्न सारवान मिथ्यावर्णन को पहचानना एवं जोखिम का निर्धारण करना।

जब एक अंकेंक्षक कपट के परिणामस्वरूप उत्पन्न सारवान मिथ्यावर्णन की जोखिम का निर्धारण कर रहा हो तब उसे निम्नलिखित चरणों को ध्यान में रखना आवश्यक है :-

01. उपक्रम के व्यवसाय को समझना :-

SA-315 के अनुसार अंकेंक्षक को अंकेंक्षण का नियोजन करने से पूर्व उपक्रम के व्यवसाय को भलीभाँति समझ लेना चाहिये जो उसे गबन होने के संभावित क्षेत्रों को पहचानने में मदद करती है।

02. प्रबंधन के साथ पूछताछ करना :-

SA-240 के अनुसार अंकेंक्षक को प्रबंधन के साथ निम्नांकित के संबंध में पूछताछ करना चाहिये:-

(a) कपटपूर्ण जोखिम के तथ्यों के लिये प्रबंध का आंकलन:-

अंकेंक्षक को यह पूछताछ करना चाहिये कि कपटपूर्ण जोखिम के लिये प्रबंध का आंकलन क्या है तथा बाद में प्रबंध कैसे उसका आंकलन करता है। इसके अतिरिक्त अंकेंक्षक को उपक्रम में कपट की जोखिम को पहचानने तथा उसके जवाब में प्रबंध की प्रक्रियाओं का मूल्यांकन भी कर लेना चाहिये। साथ ही अंकेंक्षक को इस बात की भी पूछताछ करना चाहिये कि प्रबंध अपने ऐसे आंकलनों पर प्रबंध के लिये प्रभावित व्यक्ति के साथ तथा कर्मचारियों कैसे विचार विमर्श करता है ताकि एक नीतिगत व्यवहार स्थापित किया जा सके।

(b) वास्तविक संदेहास्पद तथा वर्णित कपट के बारे में जानकारी:-

अंकेंक्षक को प्रबंधन, प्रबंध के लिये प्रभारी व्यक्तियों तथा उपक्रम के अन्य व्यक्तियों के साथ जैसा भी उचित रहे यह सुनिश्चित करने के लिये पूछताछ करना चाहिये कि क्या उन्हें किसी वास्तविक, संदेहास्पद तथा वर्णित कपट की जानकारी पहले से है जो उपक्रम को प्रभावित कर सकता है।

03. आंतरिक अंकेंक्षक के साथ पूछताछ करना:-

SA-240 के अनुसार, अंकेंक्षक को उपक्रम के आंतरिक अंकेंक्षक (यदि कोई हो तो) के साथ पूछताछ कर लेना चाहिये कि क्या उसे किसी वास्तविक, संदेहास्पद तथा वर्णित कपट की जानकारी है जो कि उपक्रम को प्रभावित कर सकती है तथा कपटपूर्ण जोखिम के बारे में उसके विचार प्राप्त कर लेना चाहिये।

04. अंकेंक्षक की विश्लेषणात्मक प्रक्रिया का परिणाम :-

नियोजन के स्तर पर अंकेंक्षक वित्तीय विवरणों पर कुछ विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं को लागू करता है। (अर्थात् अनुपात विश्लेषण, प्रवृत्ति विश्लेषण) (Ratio analysis & bend analysis) जब अंकेंक्षक इन प्रक्रियाओं

के परिणामों की मूल्यांकन करना चाहिये कि क्या कोई असामान्य अथवा अप्रत्याशित संबंध है जो कि विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं के निष्पादन के दौरान पहचाना गया है, इसमें वह भी शामिल है जो आगम खातों से संबंधित है तथा कपट के कारण सारवान मिथ्यावर्णन को इंगित करते हैं।

भाग — ब

कपट के परिणामस्वरूप उत्पन्न सारवान मिथ्यावर्णन हेतु निर्धारित की गई जोखिम के बारे में पर्याप्त उपयुक्त अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करना।

जैसा कि भाग अ में हम देख चुके हैं कि अंकेक्षक वित्तीय विवरणों में कपटपूर्ण जोखिम का निर्धारण कैसे करता है अब हम यह समझेंगे कि अंकेक्षक कैसे अपनी अंकेक्षण प्रक्रियाओं द्वारा संबोधित किये गये कपटपूर्ण जोखिम तथ्यों को प्रत्युत्तर देता है? ऐसी जोखिम के लिये अंकेक्षक दो प्रकार से प्रत्युत्तर देना:-

01. संपूर्ण प्रत्युत्तर (over all response) :-

संपूर्ण प्रत्युत्तर का आशय है वित्तीय विवरणों पर एक साथ सभी कपटपूर्ण जोखिम तथ्यों का सामूहिक प्रभाव। वित्तीय विवरणों में कपट के परिणामस्वरूप उत्पन्न सारवान मिथ्यावर्णन की निर्धारित जोखिम को संबोधित के संपूर्ण प्रत्युत्तर को निर्धारित करने में अंकेक्षक को इंगेजमेन्ट टीम को पर्याप्त रूप से कुशल तथा अनुभवी व्यक्तियों को भेजना चाहिये जिन्होंने महत्वपूर्ण नियुक्ति के दायित्व की जानकारी हो। इसके अतिरिक्त अंकेक्षक को यह मूल्यांकित करना चाहिये कि लेखांकन नीतियों का चयन तथा उनको लागू करना विशेष मापकन तथा पारित लेनदेनों से संबंधित हो अंकेक्षक को अंकेक्षक प्रक्रिया की प्रकृति समय तथा मात्रा के चयन में एक अनुमान न लगाने का अवयव का शामिल करना चाहिये।

02. वित्तीय विवरण के कथित स्तर पर अंकेक्षक का दायित्व:-

SA-230 के अनुसार अंकेक्षक को ऐसी अंकेक्षण प्रक्रियाओं को अभिकल्पित एवं निष्पादित करना चाहिये जिसकी प्रकृति, समय तथा मात्रा Cusertion level पर कपट के परिणामस्वरूप उत्पन्न सारवान मिथ्यावर्णन की निर्धारित की गई जोखिम के लिये उत्तरदायी है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रबंध आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना करने की स्थिति में होता है। SA-240 के अनुसार अंकेक्षक को निम्नलिखित प्रक्रियाओं को लागू करना चाहिये स्वयं को इस बात के लिये संतुष्ट करने हेतु कि प्रबंध ने कपट को अंजाम देने के लिये अपने पद का दुरुपयोग नहीं किया है।

(a) रिकॉर्ड की गई जर्नल प्रविष्टियों की उचितता की जाँच करना :-

1. उन कर्मचारियों के बारे में पूछताछ करना जो वित्तीय रिपोर्टिंग की प्रक्रिया में जर्नल प्रविष्टियों तथा अन्य समायोजन के लिये अनुचित अथवा असामान्य गतिविधियों में शामिल हैं।
2. एक वित्तीय अवधि के अंत में की गई प्रविष्टियों तथा अन्य समायोजनों का चुनाव करना।
3. संपूर्ण अवधि के दौरान जर्नल प्रविष्टि तथा अन्य समायोजनों के परीक्षण की आवश्यकता को ध्यान रखना।

(b) शामिल किये गये लेखांकन अनुमानों पर पुनर्विचार:-

जैसे कि हम जानते हैं जहाँ अनुमान शामिल होते हैं वहाँ कपट की जोखिम भी अधिक होती है। अंकेक्षक को इस बात का मूल्यांकन कर लेना चाहिये कि क्या लेखांकन अनुमान उचित तथा पक्षपात रहित है। इस पुनर्विचार का निष्पादन करते समय अंकेक्षक को मूल्यांकित करना चाहिये कि क्या प्रबंधन द्वारा लिये गये निर्णय उपक्रम के प्रबंधकीय भाग के संभावित पक्षपात को दर्शाते हैं जो कि कपट के परिणामस्वरूप उत्पन्न सारवान मिथ्यावर्णन की जोखिम को प्रदर्शित कर सकते हैं। यदि ऐसा है तो अंकेक्षक को संपूर्ण लेखांकन अनुमानों को पूर्ण-मूल्यांकित करना चाहिये तथा विगत अवधि में वित्तीय-विवरणों में प्रदर्शित होने वाले महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमानों से संबंधित सभी प्रबंधकीय निर्णयों तथा मान्यताओं का भूतकालीन (Retrospective) पुनरीक्षण करना चाहिये।

अंकेक्षण प्रविधियों को लागू करके अंकेक्षण जोखिम का प्रत्युत्तर देने के पश्चात् अंकेक्षक पर्याप्त उपयुक्त अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करेगा। अब अंकेक्षक के लिये यह आवश्यक है कि वह उपरोक्त प्रक्रिया से प्राप्त किये गये अंकेक्षण साक्ष्यों का मूल्यांकन करे।

भाग — स

पहचान लिये गये तथा संदेहास्पद कपट के लिये उत्तरदायी

1. अंकेक्षक साक्ष्य दर्शा रहे कि मिथ्यावर्णन है:-

जब अंकेक्षक पाता है कि वित्तीय विवरण में मिथ्यावर्णन है, तब अंकेक्षक को मूल्यांकन करना चाहिये कि क्या ऐसा मिथ्यावर्णन कपट को इंगित करता है, यदि यह एक इशारा है तो अंकेक्षक को, अंकेक्षण के अन्य पहलुओं

के संबंध में मिथ्यावर्णन की उलझनों का मूल्यांकन कर लेना चाहिये, विशेष रूप से प्रबंध द्वारा विवरण पत्र की विश्वसनीयता।

यदि अंकेक्षक एक मिथ्यावर्णन को पहचान लेता है चाहे वह सारवान हो अथवा नहीं और अंकेक्षक के पास इस बात पर विश्वास करने का उचित कारण है कि यह कपट का परिणाम है अथवा हो सकता है तथा उसमें प्रबंध (विशेष रूप से वरिष्ठ प्रबंध) भी शामिल है तो अंकेक्षक को कपट के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुये सारवान मिथ्यावर्णन की निर्धारित जोखिमक। पूर्ण: मूल्यांकन कर लेना चाहिये। तथा निर्धारित जोखिम के प्रति उत्तरदायी अंकेक्षक प्रविधियों की प्रकृति, समय तथा मात्रा पर पड़ने वाले प्रभावों का भी पूर्ण: मूल्यांकन कर लेना चाहिये। अंकेक्षक को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि क्या कोई ऐसी परिस्थितियाँ हैं जो कर्मचारियों प्रबंध अथवा तृतीय पक्षकार के साथ किये गये किसी सॉट-गॉट की तरफ इशारा करती है तब अंकेक्षक को पूर्व में प्राप्त किये गये साक्ष्यों की विश्वसनीयता पर फिर से ध्यान देना चाहिये। जब अंकेक्षक इस बात की पुष्टि कर लेता है कि कपट के परिणामस्वरूप वित्तीय विवरण में मिथ्याकथन है तो अंकेक्षक को उलझनों का मूल्यांकन करना चाहिये।

या तो वह एक मर्यादित प्रतिवेदन जारी कर सकता है तथा यदि कपट का आकार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है तो अंकेक्षक एक विपरीत राय दे सकता है।

2. अंकेक्षक यह निष्कर्ष निकालने में असमर्थ है कि क्या मिथ्याकथन विद्यमान है अथवा नहीं :-

इस परिस्थिति में अंकेक्षक अपनी राय को सुरक्षित रख सकता है अथवा यदि संदेहास्पद कपट का आकार बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है तो अंकेक्षक राय को सुरक्षित रख सकता है अथवा राय देने से मना कर सकता है।

क्या अंकेक्षक अपनी नियुक्ति को वापस लेने का निर्णय ले सकता है?

SA-240 के अनुसार, यदि एक मिथ्याकथन के परिणामस्वरूप जो कपट अथवा संदेहास्पद कपट के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुये हैं, अंकेक्षक को ऐसी अपवादात्मक परिस्थितियों का सामना करना पड़े जो अंकेक्षक कार्य का निष्पादन जारी रखने की अंकेक्षक की योग्यता पर सवाल खड़ा करे तब अंकेक्षक को।

1. उन परिस्थितियों में लागू होने वाले पेशेगत तथा वैधानिक उत्तरदायित्वों को सुनिश्चित करना चाहिये, तथा साथ ही जहाँ एक अंकेक्षक के लिये यह आवश्यक है कि वह उस व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को रिपोर्ट करे जिन्होंने नियुक्ति की थी, कुछ दशाओं में विनियमन प्राधिकरण को रिपोर्ट करे तो उसे उन्हें रिपोर्ट भी करना चाहिये।
2. उसे ध्यान रखना चाहिये कि क्या नियुक्ति वापस लेना उचित होगा, जहाँ कानून यह अनुमति देता है कि कवह अपनी नियुक्ति वापस ले सकता है।
3. यदि अंकेक्षक नियुक्ति वापस लेता है:-
 - (i) तो उसे उचित स्तर के प्रबंधन तथा प्रबंधन के लिये प्रभारित व्यक्ति के साथ विचार-विमर्श करना चाहिये कि वह नियुक्ति वापस ले रहा हो तथा उसके कारण भी बताना चाहिये।
 - (ii) यह सुनिश्चित करना चाहिये कि क्या यह एक पेशेगत एवं वैधानिक आवश्यकता है कि वह, उस व्यक्ति अथवा उन व्यक्तियों को रिपोर्ट करे जिन्होंने नियुक्ति है और कुछ दशाओं में विनियमन प्राधिकरण को रिपोर्ट करे कि कवह नियुक्ति वापस ले रहा है तथा नियुक्ति के कारण भी बताये।

SA-240 के अंतर्गत प्रबंध द्वारा आवश्यक विवरण पत्र कितने प्रकार के हैं ?

SA-240 के अनुसार, अंकेक्षक को प्रबंध से लिखित विवरण पत्र प्राप्त करना चाहिये कि -

- (a) वह कपट की रोकथाम एवं उसे खोजने हेतु आंतरिक नियंत्रण को अभिकल्पित करने, उसे स्थापित अथवा लागू करने तथा उसके रखरखाव के अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार करता है।
- (b) उसने जोखिम के निर्धारण के अपने परिणामों को अंकेक्षक को बता दिया है कि वित्तीय विवरण कपट के परिणामस्वरूप मिथ्याकथित हो सकते हैं।
- (c) उसने अपनी जानकारी में आने वाले कपट अथवा संदेहास्पद कपट को अंकेक्षक को बता दिया है जो उपक्रम को प्रभावित कर रहे हैं।
 - (i) प्रबंधन:
 - (ii) कर्मचारी, जिनकी आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका है: अथवा
 - (iii) अन्यजहाँ कपट वित्तीय विवरणों पर सारवान प्रभाव डाल सकता है।
- (d) उसने अपनी जानकारी में आने वाले वर्णित कपट अथवा संदेहास्पद कपट जो उपक्रम के वित्तीय विवरण को प्रभावित कर सकते हैं, अंकेक्षक को बता दिये हैं तथा उन्हें कर्मचारियों, भूतपूर्व कर्मचारियों, विश्लेषकों, अथवा अन्य लोगो को भी बता दिया है।

कपट अथवा संदेहास्पद कपट के संप्रेषण के संबंध में अंकेक्षक के क्या दायित्व हैं?

SA-240 के अनुसार यदि अंकक्षक कपट को पहचान लेता है अथवा प्राप्त सूचनायें यह इशारा करती हैं कि कपट विद्यमान है तो अंकक्षक को सामयिक आधार पर इस विषय को उचित प्रबंधन को संप्रेषित करना चाहिये। अंकक्षक इस विषय को प्रबंधन के लिये प्रभारित व्यक्ति को भी संप्रेषित कर सकता है।

क्या अंकक्षक के लिये यह आवश्यक है कि वह विनियमक तथा प्राधिकरण के साथ भी संप्रेषण करें ?

वर्तमान में भारत में किसी भी विधान द्वारा यह अनिवार्य नहीं किया गया है कि कपट की घटना को विनियमक अथवा प्राधिकरण को संप्रेषित किया जाये परंतु SA-240 में यह प्रावधान है कि यदि विधान ऐसी रिपोर्ट को आवश्यक बनाता है तो अंकक्षक को उसके अनुसार रिपोर्ट करना चाहिये। यद्यपि नियोक्ता की सूचनाओं की गोपनीयता बनाये रखने का अंकक्षक का पेशेगत दायित्व ऐसी रिपोर्टिंग को असंभव बना सकता है, किंतु अंकक्षक का वैधानिक उत्तरदायित्व इसकी अवहेलना कर सकता है।

उन परिस्थितियों के उदाहरण दीजिये जो कपट की संभावना को दर्शाते हैं।

निम्नलिखित उदाहरण हैं उन परिस्थितियों के जो कपट के परिणामस्वरूप वित्तीय विवरणों में सारवान मिथ्यावर्णन शामिल होने की संभावना को दर्शाते हैं:-

1. लेनदेन, जिन्हें समयबहु तरीके से अथवा पूर्ण रूप से अभिलेखित नहीं किया गया है अथवा जिन्हें राशि, लेखांकन अवधि, वर्गीकरण तथा उपक्रम की नीतियों के संबंध में अनुचित रूप से रिकॉर्ड किया गया है।
2. असमर्थित अथवा अनाधिकृत शेष अथवा लेनदेन।
3. अंतिम मिनट में किये गये समायोजन जो वित्तीय परिणामों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करें।
4. कर्मचारियों की प्रणाली तथा रिकॉर्ड्स तक अनाधिकृत पहुँच के प्रमाण जो इस बात से पूर्ण रूप से असंगत हैं कि उन्हें अपने अधिकृत कर्तव्यों के निष्पादन हेतु ऐसा करना आवश्यक था।
5. वर्णित कपट के बारे में अंकक्षक को दिये गये टिप्स तथा शिकायत।
6. प्रपत्रों का गुम हो जाना।
7. प्रपत्र जो यह दर्शाते हैं कि उनमें सुधार किया गया है।
8. फोटोकॉपी अथवा इलेक्ट्रॉनिकली हस्तांतरित प्रलेखों के अतिरिक्त अन्य प्रलेखों की अनुपलब्धता जबकि यह आशा की जाती है कि प्रलेख वास्तविक फार्म में रखे गये हैं।
9. समयोजित की गई महत्वपूर्ण अस्पष्ट मद।
10. चिट्ठे में असामान्य परिवर्तन, अथवा प्रवृत्तियों और महत्वपूर्ण वित्तीय विवरण के अनुपातों तथा संबंधों में परिवर्तन उदाहरण के लिए आगम की तुलना में प्राप्तियाँ अधिक तेजी से बढ़ रही हो।
11. पूछताछ अथवा विश्लेषणात्मक प्रविधियों के कारण प्रबंध अथवा कर्मचारियों से असंगत, अस्पष्ट तथा अविश्वसनीय प्रत्युत्तर प्राप्त होना।
12. उपक्रमों के रिकॉर्ड तथा पुष्टीकरण के प्रति उत्तरों में असामान्य भिन्नता।
13. खाता प्राप्य रिकॉर्ड में बड़ी संख्या में जमा प्रविष्टियाँ (Credit entries) तथा अन्य समायोजन।
14. खाता प्राप्य उप-लेखाबही तथा नियंत्रण खाता अथवा उपभोक्ता विवरण तथा खाता प्राप्य उप-लेखाबही में अस्पष्ट अथवा अपर्याप्त स्पष्टीकरण।